Email & Almora-2

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून-248001 दूरभाषः 0135-2650809 फैक्स-0135-2653010 ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL
ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

दिनांक: 15/03/2018

पत्र सं 08बी / यू०सी०पी० / 06 / 147 / 2015 / एफ०सी० | 219 ह

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड़, दहरादून।

विषय: जनपद — अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत पाथुली से गैराड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.738
है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या— 339/X-4-15/1(155)/2015 दिनांक 15.05.2015

महोदय, उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/11294/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद— अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तंगत पाथुली से गैराड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4. 738 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:—

- ग्रियोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.476 है0 ग्राम- सिमोली, थकुलाड़ी, गिरार सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जार्चेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- 2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3/2007—एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
- 4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
- 5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां—जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख—रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
- 6. State Govt, will correct total period for which the forest land is proposed to be diverted at para A-1(x) online Part I.
- 7. State Govt. may upload authorization letter in the favour of person making the application.

ingerile

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुरपष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम. 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपमा अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोवता अभिकरण को वन भृगि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूगि हस्तान्तरण की विधवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेपित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी:-

वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोवता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य

3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 9.476 है0 ग्राम- सिमोली, थकुलाडी, गिरार सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तंगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेपित की जाएगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजवूरों / स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेकर

कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान रथल पर कार्यरत मजंदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई

गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।

7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी

प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।

8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।

9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 288 से अधिक न हो। 10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोवता

अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।

11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलये का निस्तारण प्रयोवता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताय पर लागू

होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमित लेना राज्य सरकार / प्रयोवत एजंसी की जिम्मेवारी होगी।

13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा

सकता है।

भवदीया.

(कगल प्रीत)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, वेहरादून, उत्तराखण्ड।

आदेश पत्रावली।

15/01/11 (कमल प्रीत) वन सरक्षक



Mailbox of eepmgsyalmora2

# Subject: Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

From: monitoring-fc@nic.in on Mon, 09 Apr 2018 11:54:41

To: eepmgsyalmora2@rediffmail.com

Cc: monitoring-fc@nic.in

This is to acknowledge that demand details submitted by User Agency have been verified by Nodal Officer and found to be correct. Detail of Proposal are given below.

## **Propsal Detail**

1. Proposal No.

:FP/UK/ROAD/11294/2015

Construction of Pathuli to Gairar Motor Road

2. Proposal Name

length 7.700 Km Under PMGSY

3. Category of the Proposal : Road

4. Date of In-principle

: 26/03/2015

5. Name of the Applicant with Contact Details

Name

: PMGSY

Mobile No.

:9568689551

**Email ID** 

: eepmgsyalmora2@rediffmail.com

State

: Uttarakhand

District

: Almora

Pincode

: 263601

### **Funds Demand Details**

1. Compensatory Afforestation

:Rs. 2640630/-

2. Additional Compensatory

: Rs. 0/-

Afforestation

3. Penal Compensatory Afforestation

: Rs. 0/-

4. Catchment Area Treatment

: Rs. 0/-

5. Safety Zone

:Rs. 0/-

6. Additional Charges for protected area: Rs. 0/-

7. Net Present Value (NPV)

:Rs. 4448982/-

8. Other Charges

: Rs.0/-

9. Other Charges1

: Rs.0/-

10. Other Charges2 11. Other Charges3

: Rs.0/-: Rs.0/-

**Total Amount** 

: Rs. 7089612/-

User Agency is requested to make above mentioned payment after generating challan through the system.

(System Administrator)

# Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ Help

Sno. Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	(in	Payment Status		Demand Letter
1 FP/UK/ROAD/11294/2015 (/viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/11294/2015)	ROAD1129420156816111294681	6111294681	15 Mar 2018 CA: 2640630/-Addl CA 0/-  PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety 0/-, Addl PA 0/-	Paid	Demand 09 Apr Verified by :2018 Nodal Officer On	Demand Letter (/writereaddata/Fundpdf/411412291212PKO8A11294.pdf) Generated Challan (/UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx? pid=ROAD112942015681)
Construction of Pathuli to Gairar Motor Road length		£)	NPV: 4448982/- Charges 0/-		Bank Name :Corporation	
7.700 Km Under PMGSY			Other Charges10/-		Mode of NEFT/RTGS Payment (Challan) Challan On Art	V)
			Other Charges20/-		Generated 2018	
			Other Charges30/-		Date	
24			: Total: 7089612/-			

http://forestsclearance.nic.in/UserAccount/Payment\_history.aspx

(8)

जनपद अल्मोंडा मे तहसील तहसील रानीखेत अर्न्तगत पाथुली से गैराड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेत् दोगुनी सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में दिया जाना हैं। जिस हेतु ग्राम गैराड के ख0खा0सं0 104/33 में 4,551 हैक्टयर भूमि, ग्राम थकुलाडी के ख0खा0सं0 40 में 1.936 हैक्टयर भूमि एवं ग्राम सिमोली के ख0खा0सं0 165/23 में 2.989 हैक्टयर भूमि उक्त ग्रामों में श्रेणी 9(3)ड़ की भूमि चयनित की गई हैं। मोटर मार्ग से प्रभावित होने वाली 4.738 है0 वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेफल की कुल-9.476 हैक्टेयर सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित / नामान्तरित किये जाने के सबंध मे प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या—2173 / XVIII(II)/2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन में उपरोक्त मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध कराये जाने के सबंध मे प्रारूप 2 में सयुंक्त रूप से तहसीलदार रानीखेत, सेंयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत द्वारा दिनांक 27.07.2018 में संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार अग्रसारित प्रस्ताव पर याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड, अल्मोड़ा, के पत्रांक संख्या–867 / वन भूमि दिनांक 28-07-2018 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव के साथ निम्नवतः अभिलेखों सहित क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु दिनांक 11.03.2015 को चयनित की गई भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट, चयनित की गई भूमि की खतौनी, व खसरा एवं चयनित भूमि का मौका नक्शा एवं निर्धारित प्रारूप-2, की आख्या सहित वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड देहरादून, के पत्रांक 08बी / यू०सी०पी० / 06 / 147 / 2015 / एफ०सी० / 2198, दिनांकः 15-03-2018 के द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु ग्राम-गैराड़ राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र-ताडीखेत, तहसील रानीखेत के श्रेणी ९(३)ड़ की गैर ज0वि०ख०खा०सं० 104/33 के खेत नम्बर 3126 रकवा 0.096 हैक्टयर, खेत नं० 3129 रकवा 0.068 हैक्टयर, खेत नं0 3131 रकवा 0.180 हैक्टयर, खेत नं0 3152 रकवा 0.114 हैक्टयर, खेत नं0 3309 रकवा 0.060 हैक्टयर,, खेत नं0 खेत नं0 3310 रकवा 0.134 हैक्टयर, खेत नं0 3312 रकवा 0.045 हैक्टयर, खेत नं० 3313 रकवा 0.063 हैक्टयर, खेत नं० 3314 रकवा 0.044 हैक्टयर, खेत नं० 3390 रकवा 0. 056 हैक्टयर, खेत नं0 3391 रकवा 0.098 हैक्टयर, खेत नं0 3393 रकवा 0.118 हैक्टयर, खेत नं0 3394 रकवा 0.184 हैक्टयर, खेत नं0 3395 रकवा 0.303 हैक्टयर, खेत नं0 3397 रकवा 0.083 हैक्टयर, खेत नं0 3399 रकवा ०.२७० हैक्टयर, खेत नं० ३४०० रकवा ०.६८० हैक्टयर, खेत नं० ३४०१ रकवा ०.५४४ हैक्टयर, खेत नं० 3402 रकवा 0.143 हैक्टयर, खेत नं0 3405 रकवा 0.320 हैक्टयर, खेत नं0 3432 रकवा 0.195 हैक्टयर, खेत नं० ३४३३ रकवा ०.२३९ हैक्टयर, खेत नं० ३४३४ रकवा ०.०६३ हैक्टयर, खेत नं० ३४८० रकवा ०.१२५ हैक्टयर, खेत नं0 3481 रकवा 0.121 हैक्टयर, खेत नं0 3484 रकवा 0.030 हैक्टयर, खेत नं0 2 के मध्य 0.048 हैक्टयर, खेत नं0 3485 रकवा 0.066 हैक्टयर भूमि उक्त ग्राम के 28 खेत नम्बरानों की कुल 4.551 हैक्टयर भूमि व ग्राम थकुलाडी राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र-ताडीखेत, तहसील रानीखेत के श्रेणी १(३)ड़ की गैर जा वि०खा खा० सं० ४० के खेत नम्बर 177 रकवा 0.399 हैक्टयर, खेत नं0 218 रकवा 0.249 हैक्टयर, खेत नं0 246 रकवा 0.044 हैक्टयर, खेत नं0 254 रकवा 0.049 हैक्टयर, खेत नं0 260 रकवा 0.118 हैक्टयर, खेत नं0 261 रकवा 0.382 हैक्टयर, खेत नं0 262 रकवा 0.115 हैक्टयर, खेत नं0 263 रकवा 0.015 हैक्टयर, खेत नं0 264 रकवा 0.120 हैक्टयर, खेत नं० २६५ रकवा ०.०३४ हैक्टयर, खेत नं० २६६ रकवा ०.४६९ हैक्टयर भूमि उक्त ग्राम के 11 खेत नम्बरानों की 1.936 हैक्टयर भूमि एवं ग्राम सिमोली राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र—ताडीखेत, तहसील रानीखेत के श्रेणी ९(३)ड़ की गैर जं०वि०ख०खा०सं० १६५ / २३ के खेत नम्बर १८५८ रकवा ०.१८४ हैक्टयर, खेत नं० १८५५ रकवा 0.242 हैक्टयर, खेत नं0 1860 रकवा 0.181 हैक्टयर, खेत नं0 1863 रकवा 0.165 हैक्टयर, खेत नं0 1864 रकवा 0.261 हैक्टयर, खेत नं0 1865 रकवा 0.143 हैक्टयर, खेत नं0 1866 रकवा 0.182 हैक्टयर, खेत नं0 1867 रकवा 0.302 हैक्टयर, खेत नं0 1868 रकवा 0.411 हैक्टयर, खेत नं0 1869 रकवा 0.254 हैक्टयर, खेत नं० 1870 रकवा 0.232 हैक्टयर, खेत नं० 1871 रकवा 0.176 हैक्टयर, खेत नं० 1872 रकवा 0.239 हैक्टयर, 1873 रकवा 0.020 हैक्टयर, भूमि उक्त ग्राम के 14 खेत नम्बरानों की 2.989 हैक्टयर भूमि इस प्रकार तीनों ग्रामों की कुल 9.476 हैक्टयर भूमि को क्षतिपूरक—वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। तदनुसार ही क्रेतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार रानीखेत उक्तानुसार ही राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यवाही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप होगी।


> (नितिन सिंह भदौरिया) जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा संख्याउँ ५५५/ ग्यारह- २० /२०१७-१८, दिनांकः ६५ अगस्त, २०१८

प्रतिलिपिःनिम्नाकिंतों को सूचनार्थ प्रेषित :--

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा।
- 3- संयक्त मजिस्टेट, रानीखेत।
- 4— अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा।
- 5- तहसीलदार, रानीखेत को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

(नितिन सिंह भदौरिया) क्रिला अधिकारी, अल्मोड़ा



Scanned by CamScanner

3	4:	到身	20 Zell	11/1	
on - tenner al	MIS	12010	7	181	77) 20 71 mont, -
वोची १(3) ई. व. का			1919	9	
2011) 0010/01	34	3112)	2041	rus	A REGILUT
165/ 401 90 90		1		लेलाप <b>म</b>	1 - पापाला भीता किला। कारी मार्ग मार्ग
123 15 25		10	0.054		Ja 4-8-2018 of most of of 19-20-12017-18
72 2		40	0.021	7	LA A DEN JOHN ANNU GO SIZ
			0.049		1859 LEG 0.247 + 29 to 1860 2041 0.181 & 29 to
		-	1		1863 Jeen 0/65 2019 40 1009 54 020) de
			/		1868 2041 0143 80 190 70 1000 1000
		ç,	Si:		20 90 1867 Jean 0 302 8 25 40 1868 2001 8411
					6. 231 8 - 5000
			,011	90	20en 6237 1 0 0 89 89-10 25 WITTE
		1850	0-184	20)	इसा रोपण के डा-बाजिरा में गर्मी
		1859	0.242		
		1866	0101	~	5-3. Tomber
		1863	0.165	r	26-9-18
		1864	0143	~	
			0.182	n	
			0-302	v	
			0.411	·a	
		1869	0.254	~	
			0176	n	
		1872	0-239	n	
		1873	0020	~	
			/		
		-/	15		
		eny	//		
	1	920			
		925	0.010		
		925	S-1110		
		1079	0'/9)		
		925	m VIII		
		425 4079 925 4885	U 77 7		1
					The various of solver
The second secon	),'-	320	27.77	3	नार के प्रमुक्त किया किया किया किया किया किया किया किया
The state of the s	1	1			गामि हैं।
		3117			क्षेत्र क्षेत्रेत(अल्मोड़ा)
					महाद्य पूर्वा व्यव किया स्मासक राजस्व मानीखेत (अल्मोड़ा) तहसील रानीखेत (अल्मोड़ा)
	-			1-37	Saannad by ComSaannar

		2	How)	9 2911	1/3	2/6/	(g)
जाम	- जोरे के - लाडी रखे	>1	50	11.4		_	8
7/	903) 3. 819		780-	2/0/24/0		mo	ni v)
		424	90)(	*			
20/11)	Zanan	5	1770	2001)	CITA	CITTI	Tage (163/12)
		)		(6-4)			
104/22	6 9 2716		2	0-155	20		THYCH AM DEU SAND DEND) &
	35 DIS MIS MON ) 18		3	6-006	v		4-8-18 2 m of a month sand
	TFL 0 899/35-7618.		4	0.006	~ cr		2000 D to Wing & Jan A 3126 Jey 0098
	21-1-)6 \$ 200 7 10,3/1		5	0.000	~	FACE	10180 g. 20.312 20 0068 g. 2014 go of 20
	3/14 7 7 00 9 10 43200	1-	Cr	di)		00	2 Testi and - de verto 13/02041 0-134 AO
	भी में कामीया भामीयां हा		/		A.C. (	Mr 40	2011 Lace 00 41 8 10 53/2 2001
	गाउ नागो १ हिपा		3126	0096	0-20	60001	3 96 24 70 33/4 264) 000 44 80 20 00 98 g
			0,0,	0.060		1) 0	112 (2) 110 (2) 100 20 (2) 4 4 (2)
			3/3/	6.068			1 1 000000 30111 0 505 0
			3136	orar y		0000	00 60 701, 40 3 199 2001 0 2/00
			3152	0-114	2	290 F.	3400 2041) 0 680 8 29 7 3901
	1/		3154	0010			
	- consij		3/60	0.011	-7-	1 m	01.00 1.00 A. 2 34 AT QUY 1 373/1000
			3162	01/0			go 20. 90 3 4 80 veril 0.132 go go 20 30 go
			3/63	0-2/8	~	3481	2 7/24 000 48 do 20 - 90 3435 2541
				0031	v	0066	8 BC 28 200 -130011 97 4.551
			317/	0011		9 82-11	20 m ANTI 3/2 0 AND YUI 8
			7//	6.019	70	SHI	जिए में ही
	कीमगुरिका दिन्नी गर्डार		3178	0009	71-		O V Solding
	mond, of sor roughd sold 5		3180	0.00			20-3-10 AND WAR
	2) 11480-81 14 4-11-80 \$ 5191		3188	o-a 3			
1	9-0191eft to 10 7275,72850			/			
7.1	7295. 7305: 7315. 141 732		-	-/.			
	9 15 3 710 210 2=60}		an	gs))			
	रामी महीरानं, एतामीरानं, रक्षीण		/				
	१० हरात में ना निप्रातीवरण						
4	Fand -1003 841/		4115		35		
			4667	00/9	22		
			5/09		-1		
			5/04	0.005			
BELL			5/04				7 April
			5/04	0,00)			The sall have
			and the second		,		ल्या करें ल्या है। कापा प्रकरण
	7)	),'-	11/9	38.35			Har May And Hart
							Antage - Top di
							क्षेत्र रानीखेत(अल्पोड़ा)
			A				Coonned by ComCoonner





Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

# सयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 📭 📭 २०१५ को प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत पाथुली से गैराड़ मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव हेतू ग्राम सिमोली, थकुलाड़ी एवं गैराड़ पटवारी क्षेत्र ताड़ीखेत में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेत् सिविल सोयम भूमि चयनित की गयी। जिसमें ग्राम सिमोली खाता न0 165 रकवा 2.989 है0, ग्राम थकुलाड़ी खाता नं0 40 रकवा 1.936 है0 एवं ग्राम गैराड़ खाता सं0 104 रकवा 4.551 है कुल रकवा 9.476 है0 सिविल सोयम भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया। वन विभाग की ओर से श्री होशियार नाथ वन रक्षक, राजस्व विभाग की ओर से श्री बीo जीo गोस्वामी पट्टी पटवारी, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री पूरन सिंह फर्त्याल कनिष्ठं अभियन्ता, एवं श्री भूपेश चन्द्र उपाध्याय अमीन द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। निरीक्षण के पश्चात् उक्त भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी ।

पूरन सिंह फर्त्याल अपर भूपेश चन्द्र उपाध्याय सहायक अभियन्ता

प्रस्तावक विभाग Contined eng.

Co. So. Jan.

बी0 जी0 गौरवामी राजर्स्व उपन्निरीक्षक

वन विभाग होशियार नाथ. वन रक्षक

खल्मोड़ा दन प्रमाप

शनीखेत (उत्तराख

खल्मोडा.

वणाशीय वनाविकारी, बहबाड़ा बन प्रभाग, अल्मोड़ा

## प्रारुप-51

जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पाथुली से गैराड़ मोटर परियोजना का नाम-मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 7.700 किमी०)

# एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

लो०नि०वि० अल्मोडा

पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोडा

लो०नि०वि० अल्मोडा

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड. लो०नि०वि० अल्मोडा

for. Comfuned eng.

अल्नाई। दन प्रभाष